प्र.सं. 113/2021 जीसीएनएस आईडी : 2021/...
सुरेन्द्र कुमार आदि बनाम पारीदेवी आदि
अन्तर्गत धारा 88-188-92ए-209 आर.टी.एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
17.08.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने राजीनामा अनुसार वाद वादी डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की ओर से न्यायालय में दिनांक 28.07.2021 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया था। जो कि बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर निम्न प्रकार वाद वादी डिक्री करने हेतु निवेदन किया है कि –	

"वादीगण सुरेन्द्र व चन्द्रकला के हिस्से में चक 29 एनपी के मु.नं. 13 के कि.नं. 7 में 0–12 बिस्वा व 8 ता 16 में भूमि देनी तय हुई है। तथा मूलाराम उर्फ मूलचन्द पुत्र लालचन्द को चक 29 एनपी के मु.नं. 13 के कि.नं. 17 ता 25 में भूमि देनी तय हुई है तथा शेष भूमि तथा शेष भूमि पारी देवी को देनी तय हुई है।"

वर्तमान स्तर पर ही दावा डिक्री करने हेतु निवेदन किया है।

चूंकि प्रकरण में पक्षकारान का आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। ऐसी स्थिति में वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188–92ए–209 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किया गया है। अनुतोष में केवल खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा चाही गयी है। परन्तु राजीनामा में पक्षकारान द्वारा भूमि का आपसी सहमति से विभाजन कर लिया है। ऐसी स्थिति में 209 आरटीए के प्रावधान अनुसार न्यायालय प्रकरण में पक्षकारान का राजीनामा होने के कारण विभाजन पक्षकारान स्वीकार करता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण बरूवे राजीनामा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है कि –

" विवादित भूमि चक 29 एनपी तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2074–2077 के खाता सं. 31 में दर्ज प.नं. 207/317 मु.नं. 13 की कुल 6.0700है. नहरी मय खाला भूमि का राजीनामा अनुसार पक्षकारान को निम्न प्रकार खातेदार घोषित किया जाता है–

1. वादीगण सुरेन्द्र कुमार–चन्द्रकला संतान बनवारीलाल नाबालिग जरिए माता निर्मला पत्नी बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी 29 एनपी तहसील रायसिंहनगर के नाम से चक 29 एनपी के मु.नं. 13 के कि.नं. 7 की 0.1518है., कि.नं. 8 ता 14 सालम सालम, कि.नं. 15–16 प्रत्येक0 .202–0.202है. कुल 2.3268है. नहरी भूमि खातेदार
2. प्रतिवादी सं. 3 मूलाराम उर्फ मूलचन्द पुत्र लालचन्द जाति मेघवाल निवासी 29 एनपी तहसील रायसिंहनगर के नाम चक 29 एनपी के मु.नं. 13 के कि.नं. 17 ता 24 सालम सालम, 25 की 0.202है. कुल 2.2260है. नहरी भूमि खातेदार
3. प्रतिवादी सं. 1 पारी देवी पत्नी टीकूराम जाति मेघवाल निवासी 29 एनपी तहसील रायसिंहनगर के नाम चक 29 एनपी के मु.नं. 13 के कि.नं. 1/1 से 5/2 की 1.214 है. नहरी मय खाला, कि.नं. 6 की 0.202है. नहरी, कि.नं 7 की 0.1012है. नहरी कुल 1.5172 नहरी मय खाला भूमि खातेदार

इसी आशय की पर्चा [illegible] के राहिन दर्ज हैं, अतः डिक्री की पालना भूमि में राहिन मुक्त [illegible] की जावे। डिक्री में इसका नोट अंकित किया [illegible]

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल द[illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.10.08 17:29:49 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर